निर्णय बइजलास न्यायालय उपजिला कलक्टर छबड़ा -श्री चिमन लाल मीना R.A.S. द्वारा अध्यासित

दावा नम्बर :- 28/2014

दायरा दिनांक :- 25/3/2014

निर्णय दिनांक :- 3-12-2015

उनवान

मूरा S/o पाच्या चमार निवासी ग्राम सूगोर तहसील छबड़ा जिला- बारां (राज.)

(वादी)

V/S.

1- मदनलाल S/o पाच्या जाति चमार
2. बसन्ती बाई पत्नी मदन लाल जाति चमार
3. हेमराज S/o मदन लाल जाति चमार
4. हंसराज S/o मदनलाल जाति चमार
समस्त निवासीगण सूगोर त० छबड़ा जिला- बारां (राज.)
5. राज० सर० जरिये तहसीलदार छबड़ा

[प्रतिवादी]

वाद अन्तर्गत धारा - 188 RTA

वादी के वाद पत्र का संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार से है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 347/6 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम - सूगोर तहसील छबड़ा मे स्थित है, जिस पर वादी निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है, अकारण ही वादी से से रंजिश रखते है, वादी से लड़ाई - झगड़ा करते है।

निरन्तर- 2

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रतिवादी क्र. 1 ता 5 धमकी देते है कि उक्त भूमि से वादी को बेदखल करेंगे। अगर उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर लिया तो वादी का क्षति होगी इसलिए वादी ने निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण क्र. 1 ता 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करे. वादी को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर न्यायालय किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है, जिसके अन्तर्गत विशेष आपत्तियों मे उल्लेख किया है कि वादी भूरा-लाल परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होने के कारण वादी के पिता ने उक्त आराजी वादी के नाम अलॉट करवाई थी, तथा वादी के पिता पान्या ने ही ग्राम खजरना कलां (अन्ता) में जमीन दिलवाई थी, दोनो भाइयो में यह शर्त रखी थी, खजुरना कलां की जमीन भूरा वादी के नाम रहेगी और ग्राम रगोर की भूमि प्रतिवादी मदनलाल के नाम रहेगी, इसलिए विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है, खातेदारी घोषित करना चाहते है।

वादी द्वारा जवाब कुल जवाब पेश किए, जिसमे प्रतिवादीगण के जवाब के कथन बिन्दुओ को अस्वीकार किया है।

तदउपरान्त तनकीयात कायम की गयी जिसका विवेचन आगे है।

निरन्तर- 3.

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

(3)

वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे दस्तावेज पेश किये EX-1 नकल जमाबन्दी ग्राम गूगोर सम्वत 2067-2070 खाता 165 की, EX-2 नकल खसरा गिरदावरी ग्राम गूगोर सम्वत 2067-2069, EX3. नकल नक्शा ट्रेस ख०न. 347 एवं साक्ष्य वादी शपथ पत्र PW-1 भूरा, PW-2 फतहलाल PW-3. देवलाल के पेश किये जिरह पूर्ण करवायी गयी, एवं प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन मे साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र DW-1 मदन लाल, DW-2 घासीलाल DW-3 खुबचन्द के पेश किये जिरह पूर्ण करवायी।

तदउपरान्त उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

<u>बहस वकील वादी</u>: वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खाते कब्जे काश्त की है, खाते की नकले पेश की है, इसलिए प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में निम्न साईटेशन भी पेश किये। लिखित बहस भी पेश की है।

1- आर. एल. डब्ल्यू 2013(2) आर. जे. पेज नम्बर - 926
2- आर. एल. डब्ल्यू 2012(2) आर. जे. पेज नम्बर 1209
3- आर. एल. डब्ल्यू 2011(2) आर. जे. पेज नम्बर 1031
4- आर. एल. डब्ल्यू 2010(1) आर. जे. पेज नम्बर 237
5. आर. आर. डी 1999 पेज 352

<u>बहस वकील प्रतिवादी</u>: वादी भूरा लाल परिवार मे सबसे बड़ा सदस्य होने से पिता ने उक्त भूमि वादी के नाम एलोट करवायी थी एवं उसी समय ग्राम खजुरना की भूमि खरीद कर, दोनो भाईयो ने यह शर्त रखी थी कि खजुरना की भूमि वादी भूरालाल के रहेगी एवं विवादित आराजी ग्राम गूगोर की प्रतिवादीगण के नाम रहेगी। इसलिए प्रतिवादीगण का वाजदावा [illegible] स्वीकार फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

निरन्तर - 4

दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीवार विवेचन किया गया -

तनकी न. 1 :- क्या वादी भूमि खसरा न. 354/6 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम खूगोर पर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है [वादी]

इस तनकी का भार वादी पर था, नकल जमाबन्दी एवं नकल खसरा गिरदावरी एवं साक्ष्य शपथ पत्र से स्पष्ट है कि आराजी वादी के खाते कब्जे काश्त की है, अत: यह तनकी वादी के पक्ष मे सिद्ध होती है।

तनकी न. 2 :- क्या ख.न. 354/6 रकबा 5 बीघा भूमि ग्राम खूगोर पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है/

[वादी]

इस तनकी का भार वादी पर था :- तनकी न. 1 अनुसार यह सिद्ध हो गया है कि विवादित आराजी का खातेदार वादी है, अत: यह तनकी न. 2 भी वादी के पक्ष मे सिद्ध हो गयी है।

तनकी न. 3. :- क्या प्रतिवादीगण विवादित आराजी ग्राम खूगोर को खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है (प्रतिवादी).

प्रतिवादीगण की ओर से इस तरह के कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नहीं किये है, खातेदार घोषित किया जा सके। इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण सिद्ध नहीं कर पाये।

इस प्रकार कुल तीन तनकीयात के से दो तनकी वादी के पक्ष मे सिद्ध हो गयी है, प्रतिवादी अपनी तनकी को सिद्ध नहीं कर पाया, अत: वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

निरन्तर - 5.

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया, विवादित आराजी ग्राम गूगोर खसरा नं. 347/6 रकबा - 5 बीघा, वादी सूरजलाल पुत्र पाच्या जाति चमार सा० देह के खातेदारी में दर्ज है, अत: वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

समस्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम गूगोर तह० छबड़ा खसरा नम्बर 347/6 रकबा 5 बीघा पर अर्थे स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण 1 ता 4 को पाबन्द किया जाता है कि किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करे, वादी को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें। तदनुसार डिक्री परचा जारी होवे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

चिमन लाल मीना RAS.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)